न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

.सं. 139/2019 जीसीएमएस : 2019/316

1. जगतार सिहं पुत्र श्री अमर सिहं जाति बावरी नि. खिचियां (18 एस ए डी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
2. संतराम पुत्र श्री अमर सिहं जाति बावरी निवासी 40 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
3. करतार सिहं पुत्र श्री अमर सिहं जाति बावरी निवासी 39 जी.जी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर।
4. बन्ता राम पुत्र श्री अमर सिहं जाति बावरी निवासी 38 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

—:वादीगण

बनाम

1. धनकौर पत्नि अमर सिहं जाति बावरी निवासी 38 एन पी तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गंगानगर।
2. गुडडी देवी पुत्री श्री अमर सिहं पत्नि दलाराम जाति बावरी निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. ज्ञानकौर पुत्री अमर सिहं पत्नि निशान सिहं जाति बावरी निवासी 1 एक्स तहसील श्री करनपुर जिला श्री गंगानगर।
4. रज्जोदवी पुत्री अमर सिह पत्नि गुरचरण सिंह जाति बावरी निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

—:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—88—188 राज0 काश्त0 अधि0

उपस्थित अधिवक्तागण

1. **श्री रणजीत सिहं सोनी अधिवक्ता वादीगण**
2. **श्री ओम प्रकाश सुथार अधिवक्ता प्रतिवादीगण**

—:निर्णय:— दिनांक :—28.02.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता अमर सिहं पुत्र श्री रोड़ा राम जाति बावरी सा. 30 एन पी तहसील रायसिहंनगर का देहान्त हो चुका है। जिन्होंने अपने जीवान काल में दिनांक 17.05.2011 को एक वसीयतनाम 100 रूपये के स्टाम्प पर अपनी खातेदारी भूमि चक 38 एन पी के मु.न. 03 के 12.10 बीधा बीस्वा व चक 18 एस ए डी के मु.न. 3 प.न. 208/349 के 25—00बीधा नहरी भूमि व चक 40 जी जी तहसील श्री करनपुर का मु.न. 54 के 12—10 बीधा नहरी/बारानी का नोटरी पब्लिक रायसिहंनगर के समक्ष उपस्थित होकर रोबरू गवाहान तकमील तहरीर करवाया। इस वसीयतनाम पर अमर सिह की फोटो व वादीगण जगतारसिंह—संतराम—करतार सिहं—बन्ताराम की फोटो लगी हुई है। वादीगण के पिता अमर सिह का देहान्त दिनांक 6.10.2024 को हो चुका है। वसीयतनामा के मुताबिक अमर सिहं ने अपने पुत्रों (वादीगण) को वारिस माना है ओर वसीयतनामा के मुताबिक चार लड़के व तीन लड़कियां होना बताया है। पत्नि धनकौर की सहमति से वसीयतनामा करवाया गया है। जिसके अनुसार चक 38 एन पी के मु.न. 3 के 12—10बीधा व चक 40 जीजी तहसील श्री करनपुर के 12—10बीधा बारानी रकबा बहिस्सा—बराबर अपने दोनों लड़के वादीगण करतार सिहं —बन्ताराम पुत्रगण अमरसिहं के हक में वसीयत की [illegible] वादीगण जगतार सिंह —संतराम पुत्र अमर सिहं को चक 18 एस ए डी [illegible] 25 बीधा नहरी रकबा में बहिस्सा बराबर वसीयत की है और वसीयतनामा [illegible] वादीगण चारों ने अपने अपने हिस्सा पर किलाजात बांटकर काबिज है ओर [illegible]नामा में यह भी अंकित किया गया कि अमर सिहं की मृत्यु के बाद उक्त रकबा के हकदार हम वादीगण ही है अन्य कोई वारिस हकदार नहीं है। अमर सिहं ने अप[illegible]त्रीयों को दान

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.12 12:57:02 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

व दहेज देकर सन्तुष्ट कर दिया है। वादीगण को वसीयत में दी गई भूमि का किलाजात का बंटवार घरू निम्न प्रकार से कर रखा है कि :–

2. (क) चक 38 एनपी का मु.न. 3 प.न. 214/323 का कि.न. 1 ता 6 सालम–सालम, 7/0.05 बीस्वा यानि 1.581 है. व चक 40 जी जी का कि.न. 1ता 6 सालम–सालम, कि.न. 7/0.063 इस प्रकार 1.581है. दोनों चको की 3.162 है.नहरी/बारानी भूमि करतार सिहं पुत्र अमर सिहं जाति बावरी निवारी 39 जी जी तहसील श्रीकरनपुर के कब्जा काश्त में है।

(ख) चक 38 एनपी का मु.न. 3 प.न. 214/323 का कि.न.7/0.190, 8 ता 12 सालम–सालम, 13/1 में 0.127 है. कुल 1.582है. व चक 40 जीजी का मु.न. 54 के कि.न. 7/0.190, व कि.न. 8 ता 12 सालम'–सालम ,13/0.126 है. कुल 1.581है. दोनों चको की 3.163 है. नहरी/ बारानी भूमि बन्ताराम पुत्र श्री अमर सिहं जाति बावरी निवासी 38 एन पी तहसील रायसिहंनगर के कब्जा काश्त में है।

(ग) चक 18 एस ए डी तहसील रायसिंहनगर का मु.न. 3 प.न. 208/349 का कि.न. 3–4–5–6–7–8 सालम–सालम, कि.न. 13/0.126 व 14–15–16–17724–25 सालम–सालम कुल 12–10बीधा यानि 3.162है0नहरी भूम सन्तराम पुत्र श्री अमर सिहं जाति बावरी नि. 40 एन पी के कब्जा काश्त में है।

(घ) चक 18 एस ए डी तहसील रायसिहंनगर का मु.न. 3 प.न. 208/349 का कि.न. 1–2 –9–10–11–12 सालम–सालम, 13/0.127, 18–19–20–21–22–23 सालम–सालम कुल 12–10 बीधा यानि 3.163 है. नहरी भूमि जगतार सिहं पुत्र अमर सिहं जाति बावरी निवासी 18एस ए डी तहसील रायसिंहनगर के कब्जा काश्त में है।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने चाहते है।

वादीगण के पिता अमर सिंह ने दिनांक 17.05.2011 को वसीयतनामा किया उस वक्त प्रतिवादीगण गुडडीदेवी–ज्ञानकौर–राजकोर भी उपस्थित थी ओर उन्होनें एक शपथ–पत्र लिख कर दिया कि पिता द्वारा वसीयतनामा सही किया गया है ओर पिता की भूमि में किसी प्रकार की कोई मांग नहीं करेगें ओर पिता की भूमि भाईयों को ही दी जावेगी। शपथ–पत्र नोटरी से तस्दीक शुदा है। जो सलंग्न है। उक्त वसीयत के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करवाने हेतु पंचायत 40 एन पी दिनांक 8.09. 2019 को बुलाई गई। भूमि को लेकर विवाद आपस में हो गया जो बाद में पंचायत ने सुलटारा करवाया गया । हम भविष्य में उक्त भूमि बाबत कोई विवाद हो इसलिए हम वादीगण न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके उक्त भूमि का नामान्तकरण करवाना चाहते है। यही विनाय दावा मुखास्मत है। तहसीलदारा रायसिंहनगर को भूमि का रिकार्ड होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

अतः वादीगण का वाद–पत्र खिलाफ प्रतिवादीगण वाद–पत्र की मद सं. 3 के उप मद क–ख–ग–ध के अनुसार डिक्री फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद फरमाया जावे।

वादीगण ने वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 राज.काश्त. अधि. जरिये अधिवक्ता श्री रणजीतसिहं सोनी के द्वारा प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारों को जरिये सम्म्न तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री ओमप्रकाश सुथार अधिवक्ता ने इकबाली जबाव दावा मय वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 5 जबाव स्टेट प्रस्तुत किया तथा अपने जबाव दावा में कोई विरोध प्रकट नहीं किया। प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई कि :–

1. आया कि वादीगण के पिता अमर सिहं पुत्र रोडाराम का देहान्त हो चुका है ओर उसके द्वारा वसीयत 17.5.2011 को की गई थी जो विवादित भूमि 38 एन पी की थी।
   –: वादीगण
2. आया कि आया वादीगण जगतार सिंह, संतराम, करतार सिहं, बन्ताराम को अपने वसीयतनामा में हकदार माना है।
3. आया वसीयत नामा समर्थन अपनी धनकौर की सहमति से उक्त पुत्रों के नाम करवाया।
4. आया कि वादीगण वसीयतनामा के आधार पर किलाजात [illegible] कर रहे है।
5. आया वादीगण ने वाद पत्र के मद सं. 3 के अनुसार [illegible] द्वारा किया हुआ है। जिस पर अलग–अलग काब्जि है।
6. आया प्रतिवादी गुडडी, ज्ञानकौर, राजकौर [illegible] उपस्थित होकर शथप–पत्र पेश किया था ओर अपना हिस्सा न लेने बाबत लिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.12 12:57:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

7. आया घनकौर , गुडडीदेवी , ज्ञानकौर, रज्जोदेवी ने इकबालिया जबाव दावा प्रस्तुत किया है। —: प्रतिवादीगण

8. अनुतोष न्यायालय की आज्ञा से ।

वादीगण ने अपने तहरीर साक्ष्य में करतार सिंह पुत्र अमर सिंह, बन्ताराम पुत्र अमर सिंह,महेन्द्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये । उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अपने ब्यानों में एग्वीजिट करवाया। प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया।

पक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में अपने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वादीगण का वाद–पत्र के अनुसार डिक्री किया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में उनके द्वारा प्रस्तुत इकबाली जबाव दावा के तथ्यों को दोहराया। तथा कोई विरोध प्रकट नहीं किया। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रर्दश–1 वाके चक 18 एस ए डी की जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता नं. 2/2 वाके चक 38 एन पी की जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता नं. 3/2, अमर सिंह के नाम की , चक 40 जीजी की जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खाता नं. 179/165 अमरसिंह–सुखणासिह, वसीयत नामान्तरण 17.5.2011 प्रर्दश–3ए की फोटो, शपथ–पत्र गुडीडी, ज्ञानकौर, राजकौर, पुत्रीगण अमर सिंह की फोटो प्रति प्रर्दश–4ए ,मृत्यु प्रमाण–पत्र अमर सिंह फोटो प्रति प्रर्दश–5ए, वारिस प्रमाण–पत्र अमर सिंह के ग्राम पंचायत नानूवाला की फोटो प्रति–प्रर्दश–6 ए को अपने ब्यानों एग्वीजिट करवाये। इस खण्डन में प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। ऐसे में वादीगण का वाद–पत्र डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

ऐसे में वादिया का वाद–पत्र डिक्री जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार से है कि :–

तनकी नं. 1:– इस तनकी का सिद्व करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र जो दिनांक 22.6.2015 को जारी किया गया है इसके अनुसार अमर सिहं पुत्र रोडा राम की दिनांक 6.10.2014 को मृत्यु हो चुकी है। अमर सिहं पुत्र रोडाराम के द्वारा दिनांक 17.5.2011 को वसीयत निष्पादित की है जो नोटेरी पब्लिक जोगेन्द्र सिहं मौगा द्वारा प्रमाणित शुद्वा है। जिसकी पुष्टि वादीगण ने अपने ब्यानों में की है। इस तनकी को वादीगण सिद्व करने में सफल रहे है। अतः यह तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2:–इस तनकी को सिद्व करने का भार भी वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 17.05.2011 के अनुसार अमर सिहं पुत्र रोडा राम द्वारा अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि की वसीयत अपने चारो पुत्रों करतार सिहं, बन्ताराम, संतराम, व जगतार सिहं के पक्ष में निरस्पादित की है। अतः वादीगण इस तनकी को सिद्व करने में सफल रहे है। अतः यह तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 3:– इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। प्रतिवादी सं. 1 धनकौर द्वारा प्रस्तुत जबाव दावा में यह स्वीकार किया है कि वसीयत मेरी सहमति से मेरे पुत्रों नाम की गई थी। तथा वादी का वाद–पत्र स्वीकार फरमाया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः यह तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 4–5 :– तनकी सं. 4–5 का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। वादीगण द्वारा सहमति से वसीयत से प्राप्त भूमि का बंटवारा कर रखा है। प्रतिवादीगण द्वारा भी इसमें सहमति प्रकट की है। सभी चारों वादीगण विभाजन के अनुसार काबिज काश्त है। अतः वादीगण दोनों तनकीयात को सिद्व करने में सफल रहें है। अतः यत तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नं 6–7:– तनकी सं. 6 व 7 का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। **प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के द्वारा प्रस्तुत जबाव दावा के** अनुसार अमर सिहं पुत्र **रोडाराम ने सम्पति की वसीयत उनकी सहमति से की है।** वे भूमि में हिस्सा नहीं लेना **चाहती है। शपथ–पत्र भी पेश किया गया है। अमर सिहं की** उक्त सम्पति स्वअर्जित **सम्पति की श्रैणी में आती है, उक्त सम्पति की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार** था। **अतः वाद–पत्र के अनुसार भूमि का किला वाईज** विभाजन किया [illegible] निर्णय किया **जाता है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद–पत्र [illegible] किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.12 12:57:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

–:आदेश:–

उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र धारा **53–88–188 राज0 काश्त0 अधि0** आरटीएक्ट स्वीकार किया जाता है। अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है वाद–पत्र की मद सं. 3 की उप मद सं. क–ख–ग–घ के अनुसार निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है कि :–

वादी सं. 1 जगतार सिहं पुत्र अमर सिहं जाति बावरी निवासी 18एस ए डी तहसील रायसिंहनगर को वाके चक 18 एस ए डी तहसील रायसिंहनगर के मु.न. 3 प.न. 208/349 का कि.न. 1–2–9–10–11–12 सालम–सालम, 13/0.127, 18–19–20–21–22–23 सालम–सालम कुल 12–10 बीघा यानि 3.163 है. नहरी भूमि।

वादी सं. 2 सन्तराम पुत्र श्री अमर सिहं जाति बावरी नि. 40 एन पी के वाके चक 18 एस ए डी तहसील रायसिंहनगर का मु.न. 3 प.न. 208/349 का कि.न. 3–4–5–6–7–8 सालम–सालम, कि.न. 13/0.126 व 14–15–16–17–24–25 सालम–सालम कुल 12–10बीघा यानि 3.162है0 नहरी भूमि ।

वादी सं. 3 करतार सिहं पुत्र अमर सिहं जाति बावरी निवासी 39 जी जी तहसील श्रीकरनपुर चक 38 एनपी का मु.न. 3 प.न. 214/323 का कि.न. 1 ता 6 सालम–सालम, 7/0.063 बीस्वा यानि 1.581 है. व चक 40 जी जी का कि.न. 1 ता 6 सालम–सालम, कि.न. 7/0.063 इस प्रकार 1.581है. दोनों चको की 3.162 है. नहरी/बारानी भूमि।

वादी सं. 4 बन्ताराम पुत्र श्री अमर सिहं जाति बावरी निवासी 38 एन पी तहसील रायसिहंनगर के चक 38 एनपी का मु.न. 3 प.न. 214/323 का कि.न. 7/0.190, 8 ता 12 सालम–सालम, 13/1 में 0.127 है. कुल 1.582है. व चक 40 जीजी का मु.न. 54 के कि.न. 7/0.190, व कि.न. 8 ता 12 सालम'–सालम ,13/0.126 है. कुल 1.581है. दोनों चको की 3.163 है. नहरी/बारानी भूमि। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करने हेतु तहसीलदार रायसिहंनगर को लिखा जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/लेख भण्डार जमा हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिहंनगर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.12 12:57:02 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner